(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 845–दो/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 222/अपील/2005–06.

नाथाजी पिता मन्नाजी
निवासी नयापुरा ग्राम सिंघाना
तहसील मनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला धार
2– सुरेश पिता हीरालाल
3– कुसुमबाई बेवा रमेशचन्द्र
4– चन्द्रकान्ता पिता रमेशचन्द्र
5– सुनील पिता रमेशचन्द्र
निवासीगण ग्राम अजन्दीकोट
तहसील मनावर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री पी0जी0 पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक मूलधारक हीरालाल के विरूद्ध म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में सीलिंग अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवरणी का प्रकाशन किया जाकर सुनवाई प्रारंभ की गई । प्रकरण अनेक स्तर पर विचाराधीन होकर प्रचलित रहने के दौरान मूल धारक

हीरालाल की मृत्यु हो गई । तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा हीरालाल के वारिसानों के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–6–2006 को आदेश पारित करते हुए 439.87 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई कि आवेदक की भूमि को कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 की भूमि मानकर अतिशेष घोषित कर दी गई है । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–3–2009 को आदेश पारित करते हुए कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्राम सिंघाना की प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर उसका विधिवत नामांतरण हो जाने के उपरांत भी कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 की भूमि मानकर अतिशेष घोषित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर शिकमी के तौर पर हीरालाल को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त थे, इसलिए रमेश, सुरेश की भूमि मानकर अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती थी ।

(3) आवेदक को विरोधी आधिपत्य के आधार पर शिकमी अधिकार प्राप्त थे, इस कारण प्रश्नाधीन भूमि रमेश एवं सुरेश की मानकर अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती थी ।

(4) सीलिंग अधिनियम वर्ष 1960 में लागू हुआ है, और इतने वर्षों बाद प्रकरण विचार क्षेत्र में लेने का कोई कारण कलेक्टर द्वारा नहीं बतलाया गया है ।

(5) कलेक्टर द्वारा हितधारियों को बिना किसी प्रकार की कोई सूचना दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि धारक हीरालाल व उसके वारिसानों की नहीं है, और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि मुक्त करने की याचना की गई थी, जिसे नहीं मानकर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो अवैध होने से शून्यवत है ।

(7) दिनांक 1–1–1971 से 7–3–1974 के बीच एवं उसके पश्चात प्रश्नाधीन भूमि पर हीरालाल तथा उसके वारिसानों का कब्जा नहीं होकर आवेदक का कब्जा रहा है, इसके बावजूद आवेदक को सूचना दिये बगैर, उनके जवाब प्राप्त किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) कलेक्टर द्वारा सीलिंग अधिनियम की धारा 6, 7, 8 तथा अन्य प्रावधानों एवं नियमों का पालन नहीं कर अधिनियम की धारा 11 व 11 (3) के अंतर्गत न तो विधिवत प्रकाशन किया गया है, और न ही हितधारियों को लेखी नोटिस दिया गया है, इसलिए कलेक्टर द्वारा की गई समस्त कार्यवाही कानून एवं प्रावधानों के विपरीत होने से शून्यवत है ।

(9) स्व. हीरालाल के वारिसान का दिनाक 1–1–1971 व 1959 तथा 7–3–1974 एवं 2–10–1959 सीलिंग अधिनियम के प्रभावशील तिथियों के पूर्व अथवा बाद में कभी भी कब्जा नहीं रहा है, और आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्षों से कब्जा है ।

(10) सीलिंग अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार भूमिस्वामी को बुलाया जाकर उसके अनुसार आदेश पारित किया जाता है, इस प्रावधान का कलेक्टर द्वारा पालन नहीं किया गया है ।

(11) नियत दिनांक 7–3–1974 को धारक के वारिसानों का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व नहीं था, उसके बावजूद भी वारिसान की मानकर आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1996 आर.एन. 333 एवं 1990 आर.एन. 482 (हा.को.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित होकर शासन की भूमि है, जिसे आवेदकगण द्वारा कय की गई है, इसलिए उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

5/ शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीलिंग प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीलिंग प्रकरण में उद्घोषणा जारी कर आपत्ति आमंत्रित की गई है परन्तु आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही प्रश्नाधीन भूमि पर मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त होने के आधार पर किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया है । अपर आयुक्त के समक्ष भी आवेदक की ओर से इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा है और उन्हें मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा उनकी भूमि को अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 की भूमि

में शामिल कर भूमि अतिशेष घोषित की गई है परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर उन्हें मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख को देखने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि कलेक्टर द्वारा जो भूमि अतिशेष घोषित की गई है, उसका अमल दरामद शासन हित में अभी नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति पटवारी रिपोर्ट से स्पष्टतः परिलक्षित होती है । अतः कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिशेष घोषित भूमि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करायें साथ ही उपरोक्त कार्यवाही नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर